फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2022/97 बअनवान नवीन चौपडा बनाम अमरचन्द वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.05.26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री सोहनसिंह सोलंकी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–02 के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान उपस्थित। तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सबंध में प्रतिवादी संख्या–02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने बहस में आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादी व प्रतिवादी संख्या–01 भूमि के अन्य खातेदार के क्रेतागण होने से अजनबी व्यक्ति है। पटवारी हल्का द्वारा जो विभाजन रिपोर्ट तैयार की गई है वह पक्षकारो के कहे अनुसार नहीं बनाई तथा मौके पर मौजुद स्थिति के विपरित रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे प्रतिवादी संख्या–02 अस्वीकार करता हैं। गत् खसरा नंबर 20 व 20/1 के नये खसरा नंबर 96 सैटलमेंट विभाग ने गलत बनाये हैं। प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा गत् खसरा नंबर 20 की 2.58 हैक्टर पर है, तथा प्रतिवादी संख्या 03 का 20/1 की भूमि 1.72 हैक्टर पर कब्जा है एवं प्रतिवादी संख्या 01 व वादी का 6.45 हैक्टर खरीद सुदा भूमि पर कब्जा हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौका स्थिति के विपरित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने से पुनः तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट मंगाई जाने के दलील दी। वादी अधिवक्ता श्री सोहनसिंह सोलंकी द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादी वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार होने से विभाजन का वाद पेश किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद तहसीलदार, बाली द्वारा पुर्व में विभाजन रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति लगाई थी। जिस आपत्ति पर न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन रिपोर्ट तलब की गई है, जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो ने मौके व रेकर्ड की जांच के बाद रिपोर्ट पेश की है, जो रिपोर्ट नियमानुसार सही पेश की गई है। प्रतिवादी बार–बार अनावश्यक दबाव बनाकर मौका स्थिति के विपरित रिपोर्ट मंगाना चाहता है। आपत्ति कर्ता द्वारा पुनः पुर्व की आपत्तियो को ही दोहराया है, जो विधि विरूद्व होने से अस्वीकार कर तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाने की दलील दी गई। इस सबंध में प्रतिवादी संख्या–02 श्री करणसिंह ब्रिगेडियर स्वयं ने भी आपत्ति पेश कर करणसिंह व वादी नवीन चौपडा के भूमि का अलग अलग बंटवाडा नहीं किये जाने का अनुरोध किया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–02 विभाजन कराने के लिये तैयार नहीं है, परन्तु चूँकि वादी नवीन चौपडा ने रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन का वाद पेश किया है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 2 (ii) के प्रावधानो के तहत विभाजन की डिक्री जारी किया जाने के आज्ञापक प्रावधान है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा पुर्व में भी इसी आशय की आपत्ति लगाई थी, तथा अब न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट मंगाये जाने के बाद भी पुनः उसी आपत्ति को दोहराया गया है, प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ साररहिन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो द्वारा तैयार विभाजन रिपोर्ट जो तहसीलदार, बाली के पत्रांक/भू.अ./2025/3216 दिनांक 29.12.2025 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुरूप विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत हैं। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय ग्राम सेला पटवार हल्का, धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 96 रकबा 10.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 72.24 रूपये के सबंध में तहसीलदार, बाली के पत्रांक/भू.अ.	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

/2025/3216 दिनांक 29.12.2025 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा हैक्ट.	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
करणसिंह पुत्र रणजीसिंह जाति राजपुत सा. सेला खातेदार	96	2.55	B. 1	17.85	हरा
श्रवणसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुत सा. सेला खातेदार	96/1	1.275	B. 1	8.92	नीला
नवीनकुमार चौपडा पुत्र नेमीचंद चौपडा जाति जैन सा. पाली खातेदार	96/2	5.355	B. 1	37.49	लाल
अमरचंद पुत्र कुन्दनमल जाति जैन सा. पाली खातेदार	96/3	1.02	B. 1	7.14	भूरा
शामलाती– अमरचन्द पुत्र कुन्दनमल बोहरा हि. 1/10 जाति जैन सा. पाली करणसिंह पु. रणजीतसिंह हि. 1/4 जाति राजपुत सा. सेला नवीनकुमार चौपडा पुत्र नेमीचंद चौपडा हि. 21/40 जाति जैन सा. पाली श्रवणसिंह पुत्र हरीसिंह हि. 1/8 जाति राजपुत सा. सेला	96/4 रास्ता	0.12	B. 1 रास्ता	0.84	बैंगनी

प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार नजरी नक्शा–02 के अनुसार विभाजन से श्रवणसिंह, नवीनकुमार व अमरचंद सहमत है, मात्र एक सह खातेदार करणसिंह ही असहमत है। तथा उक्त नजरी नक्शा के अनुसार प्रत्येक सह खातेदार के हिस्से बंट मे रखी भूमि में आवागमन के लिये रास्ता भी छोडा गया है। जिससे प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा–02 के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा–2 को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे मे तरमीम के लिये आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश बिश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

नवीन कुमार चौपडा पुत्र नेमीचंद चौपडा जाति जैन निवासी पाली तहसील पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमरचंद पुत्र कुन्दनमल बोहरा जाति जैन निवासी साहनी का चौक पाली
2. करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीसेला तहसील बाली
3. श्रवणसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीसेला तहसील बाली
4. समन्दरकंवर पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीसेला तहसील बाली
5. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार(भूमिधारी) बाली, तहसील बाली जिला पाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/97
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व सुनने वकुलाय ग्राम सेला पटवार हल्का, धणी स्थित भूमि खसरा नंबर 96 रकबा 10.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 72.24 रूपये के सबंध में तहसीलदार, बाली के पत्रांक/भू.अ./2025/3216 दिनांक 29.12.2025 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा हैक्ट.	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
करणसिंह पुत्र रणजीसिंह जाति राजपुत सा. सेला खातेदार	96	2.55	B. 1	17.85	हरा
श्रवणसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपुत सा. सेला खातेदार	96/1	1.275	B. 1	8.92	नीला
नवीनकुमार चौपडा पुत्र नेमीचंद चौपडा जाति जैन सा. पाली खातेदार	96/2	5.355	B. 1	37.49	लाल
अमरचंद पुत्र कुन्दनमल जाति जैन सा. पाली खातेदार	96/3	1.02	B. 1	7.14	भूरा
शामलाती– अमरचन्द पुत्र कुन्दनमल बोहरा हि. 1/10 जाति जैन सा. पाली करणसिंह पु. रणजीतसिंह हि. 1/4 जाति राजपुत सा. सेला नवीनकुमार चौपडा पुत्र नेमीचंद चौपडा हि. 21/40 जाति जैन सा. पाली श्रवणसिंह पुत्र हरीसिंह हि. 1/8 जाति राजपुत सा. सेला	96/4 रास्ता	0.12	B. 1 रास्ता	0.84	बैंगनी

प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार नजरी नक्शा–02 के अनुसार विभाजन से श्रवणसिंह, नवीनकुमार व अमरचंद सहमत है, मात्र एक सह खातेदार करणसिंह ही असहमत है। तथा उक्त नजरी नक्शा के अनुसार प्रत्येक सह खातेदार के हिस्से बंट मे रखी भूमि में आवागमन के लिये रास्ता भी छोडा गया है। जिससे प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा–02 के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा–2 को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-05-26 को जारी की गई।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जानकारी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 09/11/2025 02:23:55 PM

: पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : सुडाला

: धणी

ग्राम : देह

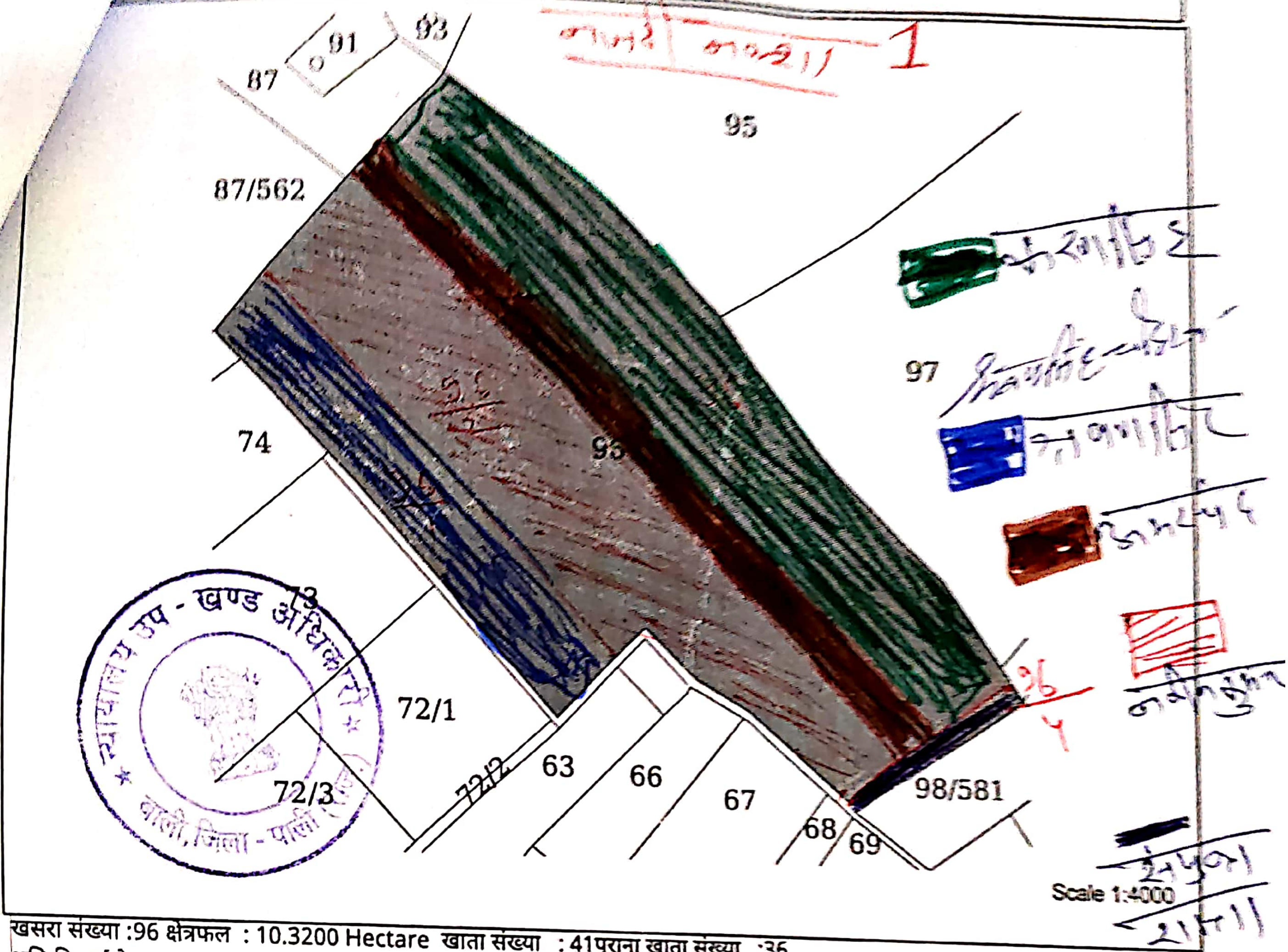

खसरा संख्या :96 क्षेत्रफल : 10.3200 Hectare खाता संख्या : 41पुराना खाता संख्या :36

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी अव्वल [10.3200, 72.24]

1.) अमरचन्द पुत्र कुन्दनमलबोहरा हिस्सा- 1/10 जाति- जैन सा. साहनी.का.चौक खातेदार

2.) करणसिंह पुत्र रणजीतसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

3.) नवीनकुमारचौपडा पुत्र नेमीचंदचौपडा हिस्सा- 21/40 जाति- जैन सा. पाली.तहसील खातेदार

4.) श्रवणसिंह पुत्र हरीसिह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

नेमपुरी 5/11/25

पटवारी (भू.अ.) धणी

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with OKEN Scanner